



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276962
CG-DL-E-08102026-276962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 798]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 869(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यम केंद्र (रजिस्ट्रार, काउंसिल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ केंद्र (रजिस्ट्रार, काउंसिल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) संशोधन नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यम केंद्र (रजिस्ट्रार, काउंसिल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 12 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) में, “सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी,” शब्दों के स्थान पर, “सेवा की अन्य शर्तों, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, के मामलों में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी,” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी, लिखित में पैंतालीस दिन का नोटिस देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा, या केंद्र, पैंतालीस दिन का नोटिस देकर लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसका पद त्यागने के लिए निदेश दे सकेगा।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(अ) स्तंभ (7) में, रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“आवश्यक—

(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री ; या

(ii) प्रबंधन में स्नातक डिग्री ; और

(ख) विधि या प्रबंधन के क्षेत्र में सौलह वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(क) केंद्रीय सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों में अनुभव ।

(ख) माध्यस्थम् मामलों संबंधी कार्य में अनुभव ।”;

(आ) स्तंभ (7) में, परामर्शी के पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“आवश्यक—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या प्रबंधन में स्नातक की डिग्री ; और

(ख) विधि या प्रबंधन के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों में अनुभव ।

(ख) माध्यस्थम् मामलों संबंधी कार्य में अनुभव ।”;

(इ) स्तंभ (7) में, कार्यपालक सहायक/सहायक अनुभाग अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं. 7 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“आवश्यक—

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री ;
- (ख) किसी केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह महीने की अवधि का कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ; और
- (ग) प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव (नियमित या संविदा पर)।

वांछनीय :

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार विभाग या स्वशासी निकायों में दो वर्ष का अनुभव।”।

[फा. सं. ए-60011/97/2019-प्रशा.II(वि.का.)]

अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 24 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 108(अ) तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2026

G.S.R. 869(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 30 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the India International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsels and other Officers and Employees) Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the India International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsels and other Officers and Employees) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the India International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsels and other Officers and Employees) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), rule 12 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and, -

(a) in sub-rule (1) as so renumbered, for the words “other conditions of service, shall be regulated”, the words “other conditions of service for which no express provision has been made in these rules, shall be regulated”, shall be substituted;

(b) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(2) Any officer or employee, may by giving notice of forty-five days in writing, resign from his office, or the Centre may, by giving notice of forty-five days, for reasons to be recorded in writing, direct any officer or employee to relinquish his office.”.

3. In the said rules, in the Schedule, -

(A) against serial number 1 relating to the post of Registrar, in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“Essential. –

- (a) (i) Bachelor’s degree in Law, or
- (ii) Management from a recognised university; and
- (b) sixteen years’ experience in field of Law or Management.

Desirable:

- (a) Experience in the Central Government or Courts or Tribunals or Public Sector Undertakings or autonomous bodies.
- (b) Experience in handling arbitration matters.”;

(B) against serial number 3 relating to the post of Counsel, in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“Essential:

- (a) Bachelor’s degree in Law or Management from a recognised university; and
- (b) four years’ experience in the field of Law or Management.

Desirable:

- (a) Experience in the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or public sector undertaking or autonomous bodies.
- (b) Experience in handling arbitration matters.”;

(C) against serial number 7 relating to the post of Executive Assistant/Assistant Section Officer, in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“Essential:

- a. Bachelor’s degree from a recognised university or institution;
- b. Diploma or Certificate in Computer applications of minimum six months duration from any Central or State Government Institute or recognised University or Board; and
- c. two years’ experience (regular or contractual) in the field of administration.

Desirable:

Two years’ experience in the Central Government or State Government department or autonomous bodies.”.

[F. No. A-60011/97/2019-Admn.II(LA)]

AJAY KUMAR ARORA, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R 469 (E), dated the 24th June, 2022 and subsequently amended *vide* number G.S.R.108(E), dated the 17th February, 2023.